

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
हनुमान सहाय बनाम सुन्दरी  
अपील जीसीएमएस संख्या 2023/286

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

11.07.24

पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के पत्थरगढी के आदेश दिनांक 22.09.2022 की पालना में तैयार पालना रिपोर्ट फर्द मौका पत्थरगढी तहसीलदार जालसू दिनांक 07.06.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के मूल आदेश दिनांक 22.09.2022 के खिलाफ प्रस्तुत अपील उनवाणी हनुमान सहाय बनाम सुन्दरी अपील संख्या 2023/280 को निर्णित किया जाकर रिगाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में जब मूल पत्थरगढी आदेश ही निरस्त किया जा चुका है तो पत्थरगढी आदेश की पालना में तैयार फर्द मौका रिपोर्ट की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः आदेश है कि अपील अपीलांत खारिज की जाती है एवं पत्रावली फ़ैराल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(डॉ० आरुषी मलिक)  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर।